

प्रतिवेदन

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम-सालरा का विद्युतीकरण कार्य किया जाना स्वीकृत है। इसके लिए लगभग 14.5 किलोमीटर विद्युत लाइन का निर्माण किया जाना है। विद्युत लाइन का सर्वे रूट इस प्रकार रखा गया है, कि विद्युत लाइन निर्माण में कम से कम वनभूमि आये एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। उपरोक्त के संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार की बहुप्रतीक्षित व समयबद्ध योजना है जिसमें ससमय पर कार्यों का सम्पन्न होना अतिआवश्यक है वर्तमान समय में जनपद-उत्तरकाशी के मोरी-ब्लॉक के ग्राम-सालरा अभी तक अविद्युतीकृत हैं जिनमें की विद्युत लाइन किसी अन्य स्थान से ले जाना सम्भव नहीं है। ग्राम-सालरा का विद्युतीकरण तभी संभव है जबकि ग्राम-सालरा तक विद्युत लाइन बिछाने की स्वीकृति प्राप्त हो सके एवं ग्राम-सालरा जनपद-उत्तरकाशी के अविद्युतीकृत होने के कारण क्षेत्रीय जनता अभी तक विद्युत सुविधा से वंचित है।

विद्युत लाइन हेतु वन भूमि 4.25 हे० की मांग कि गई है लाइन के प्रस्तावित रूट में कोई मन्दिर, चर्च, कबरिस्तान आदि नहीं पडता है ।

प्रस्तावित लाइन के संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग व उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा चुका है। उपरोक्त विद्युत लाइन हेतु मात्र 108 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

उपरोक्त कार्य के करने से एक ओर विद्युत विहीन गांव/तोक में विद्युत कि सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना क्रान्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी ।

अतः सार्वजनिक एवं जनहित के लिए 4.25 हे० वन भूमि विद्युत लाइन बिछाने हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है ।


अधिसासी अभियन्ता (परियोजना)

ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०

अधिसासी अभियन्ता

विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड

उ०पा०का०लि०, देहरादून